


आदेश

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के अधीन समग्र शिक्षा के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय एवं संदर्भ व्यक्ति के पदों हेतु परिषद् मुख्यालय पर ऑन लाईन साक्षात्कार आयोजित किये जाने हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में जारी दिशा निर्देश क्रमांक: RCSE/Jai/Est-I/Interview-District & Block/2026/05964-8900281/3019 दिनांक: 21.01.2026 में निम्न दिशा निर्देशों को भी शामिल किया जाता है-

1. जिन उप प्राचार्य की प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हो चुकी है एवं जिन्होंने वर्तमान पद को ही यथा क्रमोन्नत मानते हुए यथास्थान कार्यग्रहण कर लिया तथा जिनका काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया जाना शेष है वे भी प्रधानाचार्य के समकक्ष पद हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगे।
2. कार्यक्रम अधिकारी एवं संदर्भ व्यक्ति के पद पर आवेदन हेतु उप प्राचार्य /वरिष्ठ व्याख्याता एवं व्याख्याता समकक्ष को पात्र माना गया है। इन पदों हेतु जिन व्याख्याताओं की उप प्राचार्य पद पर पदोन्नति हो चुकी है एवं जिन्होंने वर्तमान पद को ही यथा क्रमोन्नत मानते हुए यथा स्थान कार्यग्रहण कर लिया है तथा जिनका काउंसलिंग के माध्यम से पद स्थापन किया जाना शेष, वे भी उप प्राचार्य के समकक्ष पद हेतु आवेदन के पात्र होंगे।




राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक: RCSE/Jai/Est-I/Interview-District & Block Office/2026/05964-8900281/S024 दिनांक: 6.2.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम/द्वितीय, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
5. उपायुक्त, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक (संस्थापन/प्रशासन), राज. स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर



राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त